10/18/2003-डीजीएडी

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

<u>व्यापार नोटिस सं. 1/2010</u>

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई, 2000

<u>विषयः पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के संदर्भ मे मध्य आवधिक समीक्षा आरंभ करने के संबंध में स्पष्टीकरण।</u>

वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क तथा तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 तथा व्यापार नोटिस सं. 1/2004, दिनांक 15 मार्च, 2004 की ओर व्यापार और उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्य आवधिक समीक्षा प्रारंभ करने के लिए निर्यातक, आयातक, घरेलू उत्पादक, व्यापार प्रतिनिधि निकाय, फर्म अथवा संस्थान, जो घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि हैं, सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक आवेदन दिया जा सकता है। आवेदक ऐसी समीक्षा की जरूरत को प्रभावित करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करेगा।

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक अंतरिम/ मध्य आवधिक समीक्षा के लिए आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि एक तर्कसंगत समय अवधि अर्थात केंद्र सरकार द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद से कम से कम एक वर्ष व्यतीत हो चुका है।

4. यहां उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, निर्दिष्ट प्राधिकारी आवश्यकतानुसार अपनी स्वयं की पहल पर शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा कर सकते हैं।

5. जहां तक निर्णायक समीक्षा शुरू करने का संबंध है, दिनांक 10 मार्च, 2008 के व्यापार नोटिस सं. 1/2008 द्वारा दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

6. उपरोक्त प्रक्रिया उपरोक्त विषय पर निदेशालय द्वारा जारी तथा इस निदेशालय के प्रकाशनों में दिए गए पूर्व अनुदेशों अथवा व्यापार नोटिस का अधिक्रमण करेगी।

7. सभी व्यापार संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से यह अनुरोध किया जाता है कि इस व्यापार नोटिस की सामग्री अपने सदस्यों/संघटकों की जानकारी में लाएं।

8. नई दिल्ली स्थित सभी दूतावासों और राजनयिक मिशनों से यह अनुरोध किया जाता है कि इस व्यापार नोटिस की सामग्री सभी संबंधित की जानकारी में लाएं।

(भारती एस. सिहाग)
संयुक्त सचिव
कृते निर्दिष्ट प्राधिकारी
दूरभाषः 011-2306 2526

सेवा में
संलग्न सूची के अनुसार